युवाओं की तिरंगा यात्रा से गूंज उठा शहर

इंदौर : देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से गुरुवार को राष्ट्रपथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। शाम 3 बजे शुरू हुई यात्रा भंवरकुआं, राजीव गांधी चौराहे से होते हुए पुन: भंवरकुआं पहुंची, जहां वंदे मातरम् के सामूहिक गान के साथ इसका समापन हुआ। यात्रा में 25 हजार से अधिक युवा छात्र-छात्राओं, माताओं-बहनों और नागरिकों ने भाग लिया। तिरंगा हाथों में लिए युवाओं के देशभक्ति के नारों से पूरा मार्ग गूंज उठा। विभिन्न समाजों, संस्थाओं और संगठनों ने यात्रा में सहभागिता की। जगह-जगह स्वागत मंच लगाकर युवाओं का स्वागत किया गया और अल्पाहार वितरित किया गया। मार्ग में पुष्पवर्षा भी की गई। अनुशासित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई यह यात्रा इंदौर के युवाओं और नागरिकों की सहभागिता का प्रतीक बनी। आयोजकों ने इसे आने वाले वर्षों में एक नई परंपरा के रूप में स्थापित होने की उम्मीद जताई।

खास खबरें

करोंद में ताला तोड़कर 40 हजार के जेवर चोरी

नप्र, भोपालः निशातपुरा थाना क्षेत्र की रति कॉलोनी करोंद में अज्ञात चोर घर का ताला तोड़कर सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर ले गया। फरियादी नरेश अनिरवार ने पुलिस को बताया कि चोरी गए सामान की कीमत करीब 40 हजार रुपए है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

छोला में घर का ताला तोड़कर नकदी-चांदी चोरी

छोला मंदिर थाना क्षेत्र के शिवनगर फेस-3 में अज्ञात बदमाश घर का ताला तोड़कर चांदी की बिछुड़ी और 15 हजार रुपए नकद चोरी कर ले गया। फरियादी रघुवीर यादव ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर चोरी गए सामान और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

कस्तूरबा नगर से 70 हजार की स्कूटी चोरी

गोविंदपुरा थाना क्षेत्र के सी सेक्टर कस्तूरबा नगर से अज्ञात चोर करीब 70 हजार रुपए कीमत की स्कूटी चोरी कर ले गया। फरियादी सबीर खान ने पुलिस को बताया कि स्कूटी क्रमांक एमपी04 वाईएन5490 थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने वाहन चोरी का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

कोलार में लापरवाही से ट्रैक्टर चलाने पर मामला

कोलार थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर चालक के खिलाफ तेजी और लापरवाही से वाहन चलाकर टक्कर मारने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार ट्रैक्टर क्रमांक एमपी04 एल2114 का चालक वाहन चला रहा था। घटना के बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। मामले की जांच की जा रही है।

सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते युवक पर कार्रवाई

शाहपुरा थाना क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। रिपोर्ट के अनुसार मनोहर सिंह को सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते पाया गया। पुलिस ने आबकारी अधिनियम की संबंधित धारा के तहत प्रकरण दर्ज किया। पुलिस की कार्रवाई के बाद मामले में आगे की वैधानिक प्रक्रिया जारी है।

इलाज के दौरान युवक की मौत, अस्पताल ने दी सूचना

कोलार थाना क्षेत्र के बंसल अस्पताल में इलाज के दौरान 22 वर्षीय सुशांत द्विवेदी की मौत हो गई। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार वह एक हादसे में घायल हुआ था और उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हुई। अस्पताल की सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना के संबंध में आवश्यक कार्रवाई शुरू की है।

पेशाब करने की बात पर विवाद, युवक से मारपीट

एमपी नगर थाना क्षेत्र के जोन-1 में पेशाब करने की बात को लेकर विवाद हो गया। विकास शर्मा के साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर घटना में शामिल लोगों की जानकारी जुटा रही है।

प्रतिभा सम्मान समारोह में 250 प्रतिभाएं होंगी सम्मानित

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः आदर्श युवा पूर्विया राजपूत समाज जागृति समिति द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह-2026 का आयोजन 16 अगस्त को सुभाष यादव भवन, मालवीय नगर में किया जाएगा।

समारोह में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि होंगे। मंत्री विश्वास सारंग, शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, स्वास्थ्य राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल सहित अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहेंगे।

समिति के अनुसार समारोह में 250 प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। इनमें 10वीं एवं 12वीं के मेधावी विद्यार्थी, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल विद्यार्थी तथा शिक्षा, खेल, कृषि, चिकित्सा, महिला सशक्तीकरण, युवा नेतृत्व, साहित्य एवं संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाली प्रतिभाएं शामिल हैं। इनमें शाजापुर एवं शुजालपुर क्षेत्र की 93 प्रतिभाएं भी शामिल हैं। समिति ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य प्रतिभाओं का उत्साह बढ़ाने के साथ विद्यार्थियों और युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है।

परवलिया में ढाबे के पास मारपीट और धमकी

नप्र, भोपालः परवलिया थाना क्षेत्र में ढाबे के पास जान-पहचान को लेकर विवाद के बाद गाली-गलौज, मारपीट और धमकी देने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस रिपोर्ट में प्रेमनारायण यादव, शोभू, राजू और क्रिस सहित संबंधित लोगों का उल्लेख है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है।

बैरसिया में ट्रक से 105 लीटर डीजल चोरी : बैरसिया थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पास खड़े ट्रक के टैंक का ताला तोड़कर डीजल चोरी कर लिया गया। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार अज्ञात आरोपी करीब 105 लीटर डीजल चोरी कर ले गया, जिसकी कीमत करीब 10,500 रुपए बताई गई है।

भोजताल में मोटर बोट संचालन पर उठे सवाल, जांच की मांग

नप्र, भोपालः भोजताल में तिरंगा यात्रा के दौरान मोटर चालित नौकाओं के संचालन को लेकर पर्यावरणीय नियमों और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के संभावित उल्लंघन का मामला सामने आया है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता विराज यादव और मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव अनिकेत द्विवेदी ने संबंधित अधिकारियों और राष्ट्रीय हरित अधिकरण को शिकायत भेजकर स्वतंत्र जांच की मांग की है।

शिकायत में कहा गया है कि भोजताल भोपाल की पेयजल सुरक्षा, जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन से जुड़ा संवेदनशील जल निकाय है। ऐसे में मोटर चालित गतिविधियों के लिए पर्यावरणीय नियमों और अनुमति की स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। विराज यादव ने कहा कि तिरंगे का सम्मान सर्वोपरि है, लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रम के नाम पर पर्यावरणीय कानूनों और न्यायालयीन आदेशों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। अनिकेत द्विवेदी ने कहा कि भोजताल पर बढ़ते पर्यावरणीय दबाव को देखते हुए मोटर चालित गतिविधियों की वैज्ञानिक जांच जरूरी है।

स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल

परेड, मार्च पास्ट और सुरक्षा व्यवस्थाओं का किया परीक्षण

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय मुख्य समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए गुरुवार को लाल परेड ग्राउंड में फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई।

इस दौरान 15 अगस्त को होने वाले समारोह की पूरी रूपरेखा को वास्तविक कार्यक्रम की तरह दोहराया गया। परेड, मार्च पास्ट, ध्वजारोहण और सुरक्षा व्यवस्थाओं का परीक्षण किया गया। फुल ड्रेस रिहर्सल में परेड में शामिल जवान पूरे गणवेश और अनुशासन के साथ शामिल हुए। जवानों की कदमताल, मार्च पास्ट सहित अन्य गतिविधियों का निरीक्षण किया गया।

ध्वजारोहण के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का भी अभ्यास कराया गया, ताकि मुख्य समारोह के दौरान किसी प्रकार की कमी न रहे। इस दौरान पुलिस और प्रशासन ने समारोह स्थल की सुरक्षा व्यवस्था का भी अंतिम परीक्षण किया। पुलिस बल की तैनाती, प्रवेश व्यवस्था, सुरक्षा जांच और अन्य इंतजामों की समीक्षा की गई।

तलवार से जानलेवा हमला करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

नप्र, भोपालः छोला मंदिर थाना पुलिस ने तलवार से जानलेवा हमला करने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को वारदात के कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने रास्ता रोककर नाबालिग से गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के बाद तलवार से हमला किया था। हमले में पीड़ित के गले के पास और बाएं कंधे पर चोट आई है।

पुलिस के अनुसार, 11 अगस्त 2026 को शंकर नगर निवासी 17 वर्षीय हर्षित यादव ने छोला मंदिर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। हर्षित ने पुलिस को बताया कि वह घोड़ा नक्काश क्षेत्र स्थित एक मोबाइल दुकान पर काम करता है। शाम करीब 4 बजे वह घर से मेन रोड की ओर जा रहा था। इसी दौरान आरोपी अभिषेक मेहरा ने उसका रास्ता रोककर विवाद किया। इसके कुछ देर बाद अभिषेक मेहरा अपने साथी गौरी उर्फ शंकर अहिरवार के साथ दुर्गा मंदिर, शंकर नगर के पास पहुंचा। दोनों ने हर्षित के साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी।

साहित्य जीवन को समझने और संवेदनशील बनाने का माध्यम है : डॉ. सौरभ

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः नवनिध पब्लिक स्कूल में पुस्तकालय दिवस के अवसर पर 'मीट द ऑथर' कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को साहित्य, पुस्तकों और सृजनात्मक लेखन से जोड़ना तथा साहित्यकारों से प्रत्यक्ष संवाद का अवसर उपलब्ध कराना था।

कार्यक्रम में प्रसिद्ध कवि, लेखक, अनुवादक और शिक्षाविद् डॉ. अरुणाभ सौरभ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि साहित्य जीवन को समझने और संवेदनशील बनाने का माध्यम है। विद्यार्थियों को पुस्तकों से निरंतर जुड़े रहने और भाषा पर मजबूत पकड़ बनाने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि ज्ञान जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने आत्मविश्वास और नियमित अध्ययन पर भी जोर दिया।

सत्र के दौरान डॉ. सौरभ ने अपनी चर्चित कविताओं 'दुनिया बदलने तक' और 'देश हो तो' का पाठ किया। विद्यालय के साहित्यिक क्लब की छात्राओं मान्या मोरंदानी, नूपुर लालवानी और क्षमा तिवारी ने उनसे साहित्य, लेखन और अध्ययन से जुड़े विभिन्न प्रश्न पूछे। डॉ. सौरभ ने विद्यार्थियों के सवालों के प्रेरणादायी उत्तर दिए। कुछ छात्राओं ने अपनी स्वरचित कविताओं का पाठ भी किया, जिसकी उन्होंने सराहना की।

विद्यालय की प्राचार्य अमृता मोटवानी ने कहा कि साहित्यकारों से प्रत्यक्ष संवाद विद्यार्थियों के बौद्धिक और रचनात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्यक्रम का समन्वय पुस्तकालय की काजल आसुदानी और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष सीमा मोतियानी ने किया। संचालन एवं आभार प्रदर्शन हिमांशी लालवानी ने किया।

शौर्य स्मारक से आज निकलेगी तिरंगा यात्रा

भोपाल। स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा अभियान के तहत दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की विशाल तिरंगा यात्रा 14 अगस्त को सुबह 10 बजे शौर्य स्मारक से निकाली जाएगी। विधायक भगवानदास सबनानी के नेतृत्व में होने वाली यात्रा को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, करुणाधाम आश्रम के पीठाधीश्वर सुदेश शाण्डिल्य महाराज और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कार्यक्रम में महापौर मालती राय और जिलाध्यक्ष रविंद्र यती भी मौजूद रहेंगे। यात्रा शौर्य स्मारक से शुरू होकर हॉकर्स कॉर्नर, छह नंबर स्टॉप, नूतन कॉलेज, आनंदधाम, पांच नंबर दुर्गा पेट्रोल पंप, अर्जुन नगर, मद्रासी मोहल्ला, पंचशील नगर, अवंती बाई चौराहा, माता मंदिर, टीन शेड, कमला नेहरू स्कूल, न्यू मार्केट, रोशनपुरा चौराहा, रंगमहल टॉकीज और जवाहर चौक होते हुए डिपो चौराहा पहुंचेगी।

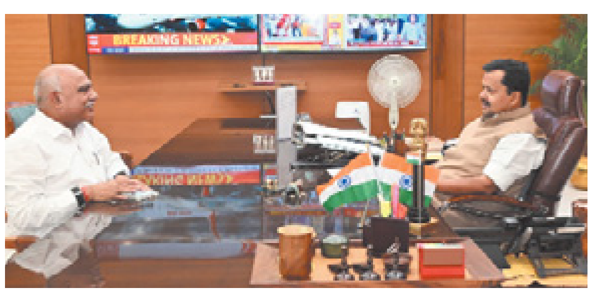

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद नितिन नबीन से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने गुरुवार को नई दिल्ली में सौजन्य भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच संगठनात्मक विषयों पर सार्थक चर्चा हुई।

742 मामलों में एक ही व्यक्ति को गवाह बनाने पर टीआई का तीन साल के लिए डिमोशन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल/इंदौरः इंदौर। पुलिस जांच में एक ही लोगों को बार-बार पंच गवाह बनाए जाने के मामले में इंदौर पुलिस ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। खजराना थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी और वर्तमान में राज्य साइबर सेल में पदस्थ निरीक्षक दिनेश वर्मा को इंस्पेक्टर पद से घटाकर सब-इंस्पेक्टर कर दिया गया है।

यह दंड तीन वर्ष तक प्रभावी रहेगा। विभागीय जांच में सामने आए रिकॉर्ड के अनुसार, इरशाद नामक व्यक्ति को करीब 742 प्रकरणों में और नवीन चौहान को लगभग 504 मामलों में गवाह बनाया गया। इनमें हत्या, हत्या का प्रयास, दुष्कर्म, पॉक्सो, लूट, धोखाधड़ी, एनडीपीएस, आबकारी अधिनियम, जुआ, सट्टा और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर अपराधों के मामले भी शामिल बताए गए हैं। कई जब्ती पंचनामों में भी इन्हीं व्यक्तियों के हस्ताक्षर मिले। कुछ मामलों में हस्ताक्षरों की प्रामाणिकता को लेकर भी सवाल उठे। दिनेश वर्मा 31 अगस्त 2020 से 2 अगस्त 2023 तक खजराना थाने के प्रभारी रहे। उनके कार्यकाल में बड़ी संख्या में मामलों में उन्हीं गवाहों के नाम सामने आने के बाद शिकायत की गई थी। विभागीय जांच में विवेचना प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही पाए जाने का दावा किया गया। इसके आधार पर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई का आदेश जारी किया।

एडिशनल पुलिस कमिश्नर मयंक अवस्थी के अनुसार, खजराना थाना प्रभारी के खिलाफ गंभीर शिकायतें मिली थीं और जांच में कई मामलों में लापरवाही सामने आने के बाद कार्रवाई की गई।

राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की जयंती पर निकली तिरंगा रैली

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की 388वीं जयंती के अवसर पर राठौर क्षत्रिय समाज न्यू भोपाल, राठौर क्षत्रिय एकता मंच और राठौर संघ भोपाल के संयुक्त तत्वावधान में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए।

समाजजनों ने बांसखेड़ी शाहपुरा से ग्यारह सौ क्वार्टर स्थित राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा स्थल तक तिरंगा रैली निकाली। इसके बाद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए समाजजनों को फलदार पौधे वितरित किए गए। एक पौधा, एक जिंदगी अभियान के तहत लोगों को पौधे देकर पर्यावरण बचाने और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की शपथ दिलाई गई। समाज ने एक परिवार, एक पौधा लगाने का संकल्प भी लिया। मुख्य अतिथि भोपाल नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुरजीत सिंह चौहान रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने की। भारत माता और राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर के चित्र भी वितरित किए गए। आयोजन में अनूप राठौर, रमेश राठौर, संजय राठौर, प्रेम नारायण राठौर सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे।

नजीराबाद में पुरानी बात को लेकर मारपीट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः नजीराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम वाटनी में पुरानी बात को लेकर विवाद के बाद गाली-गलौज, मारपीट और धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस रिपोर्ट में इंदरबाई तवर और परिवार से जुड़े लोगों का उल्लेख है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस घटना के संबंध में आगे जांच कर रही है।

नाम परिवर्तन सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं अब्दुल वसीम खान पुत्र अब्दुल फरीद निवासी म.नं. बी 94, अली आटा चक्की के पीछे बाग दिलकुशा, रायसेन रोड, भोपाल (म.प्र.) यह कि पूर्व में मेरा नाम अब्दुल वसीम था जिसे मैंने बदल कर अब्दुल वसीम खान रख लिया है, और मेरे सभी दस्तावेजों में अब्दुल वसीम खान नाम है। अत: मुझे भविष्य में मेरे नये नाम अब्दुल वसीम खान से पहचाना जायें।

1292

आम सूचना

खसरा क्र. 15/1 (एस) 48, 15/2 रकबा 1.2140 हेक्टेयर में से 0.405 हेक्टेयर (अर्थात् 1.00 एकड़) स्थित ग्राम लसूडिया बज्याफत, तहसील व जिला सीहोर

मेरे पक्षकार के निर्देशानुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उन्होंने श्री बलवीर सिंह आत्मज श्री दौलत सिह ठाकुर निवासी आवली खेड़ा, आबिदाबाद रोड़, सीहोर (म.प्र.) के स्वत्व, स्वामित्व एवं अधिपत्य की कृषि भूमि जो एक किता खसरा क्र.15/1 (एस) 48, 15/2 रकबा 1.2140 हेक्टेयर में से 0.405 हेक्टेयर (अर्थात् 1.00 एकड़) जो ग्राम लसूडिया बज्याफत, हल्का आवलीखेड़ा, तहसील सीहोर, जिला सीहोर (म.प्र.) में स्थित है, को क्रय करने का अनुबंध कर बयाना राशि का भुगतान कर दिया गया है। उक्त वर्णित भूमि अथवा उसके किसी भाग में किसी भी व्यक्ति, संस्था, शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय निकाय का कोई अनुबंध, स्वत्व, आधिपत्य ऋण, दान, बंधक अथवा अन्य किसी भी प्रकार से भारित हो या कोई वाद-विवाद हो तो, वह अपनी आपत्ति लिखित में मय दस्तावेजों के साथ इस सूचना पत्र प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि के अन्दर मुझे, मेरे कार्यालय में प्रस्तुत करें, समयावधि निकल जाने के पश्चात् किसी भी प्रकार का दावा, स्वत्व या आपत्ति मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नहीं होंगी और मेरा पक्षकार उपरोक्त भूमि को क्रय करने हेतु एवं विक्रय पत्र के पंजियन करवाने हेतु स्वतंत्र होंगे।

Abhishek Pal, Advocate
Add.:65, Sumitra Parisar, Phase-III, Kolar Road, Bhopal (M.P.)
Mob.:-9993025483

1291

सुश्री रंजना डोडवे तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बैरसिया, जिला भोपाल (म.प्र.)

न्यायालय :- सुश्री रंजना डोडवे तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बैरसिया जिला भोपाल
प्रो.न 574/2026 बैरसिया, दिनांक 12.08.2026
आर.सी.एस.ए.-104/2024

राजकुमार चक्रवर्ती आदि...**विरूद्ध**...राहुल सिंह चौहान आदि

प्रति, 1. राहुल सिंह चौहान पिता रोशन सिंह चौहान, आयु 44 वर्ष, निवासी-69 छोला मंदिर नवजीवन कॉलोनी भोपाल म.प्र. 2. अंजुला चौहान पत्नी राहुल सिंह चौहान, आयु 69 वर्ष, निवासी-69 छोला मंदिर नवजीवन कॉलोनी भोपाल म.प्र. प्रत्यर्थी क्रं. 1 से 2 को जिला भोपाल दैनिक समाचार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आर.सी.एस.ए.-104/2024 राजकुमार चक्रवर्ती आदि विरूद्ध राहुल सिंह चौहान आदि के अंतर्गत पेश किया गया है जो कि प्रत्यार्थीगण 01. राहुल सिंह चौहान पिता रोशन सिंह चौहान, आयु 44 वर्ष, 02. अंजुला चौहान पत्नी राहुल सिंह चौहान, आयु 69 वर्ष, दोनों निवासी 69 छोला मंदिर नवजीवन कॉलोनी भोपाल म.प्र. की उपस्थिति हेतु नियत है। इसलिए नियत पेश दिनांक 02.09.2026 को प्रत्यर्थीगण मार्फत अधिवक्ता के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराये। यदि उक्त नियत पेशी दिनांक को प्रत्यार्थीगण 01. राहुल सिंह चौहान पिता रोशन सिंह चौहान, आयु 44 वर्ष, निवासी-69 छोला मंदिर नवजीवन कॉलोनी भोपाल म.प्र. 02. अंजुला चौहान पत्नी राहुल सिंह चौहान, आयु 69 वर्ष, निवासी- 69 छोला मंदिर नवजीवन कॉलोनी भोपाल म.प्र. का कोई जवाब, आपत्ति पेश नहीं करते तो आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी। अत: आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप नियत पेशी दिनांक 02.09.2026 को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो उक्त प्रकरण की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यह आज तारीख 12.08.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

सुश्री रंजना डोडवे
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बैरसिया, जिला भोपाल

AG

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेरे पक्षकार ने श्री कमाल उद्दीन पुत्र श्री इमाम उद्दीन, वयस्क, निवासी-428, पुराना नाका, कांग्रेस नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीयता -भारतीय से उनके स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की एक किता प्लाट नं. 824 (जिस पर वर्तमान में अत्यंत जर्जर/शाकिस्ता हालत में एक कच्चा मकान निर्मित है), स्थित-कांग्रेस नगर, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.), जो नगर निगम सीमाओं के अंदर वार्ड क्रं.-14 में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 1200 वर्गफिट (अर्थात् 111.52 वर्गमीटर) है, तथा जिसकी चतुर्थ सीमाएं निम्न प्रकार हैं:- जिसकी चतुर्थ सीमाएं दिशा पूर्व में-मकान लाला अब्दुल मालिक का, दिशा पश्चिम में-रास्ता, दिशा उत्तर मे-मकान जाकिर मियां का, दिशा दक्षिण में-रास्ता, जिसकी कमाल उद्दीन पुत्र श्री इमाम उद्दीन, मालिक व काबिज है, वह उक्त सम्पत्ति को विक्रय कर रहे है और मेरे पक्षकार से बयाना राशि प्राप्त कर ली है, यदि उक्त विक्रय में किसी भी व्यक्ति, सस्था, बैंक, शासकीय व गैर शासकीय कार्यालय आदि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वह सूचना प्रकाशन के (7) सात दिवस के अन्दर मय प्रमाणित सहित दस्तावेज मेरे कार्यालय में प्रस्तुत करें। समयावधि निकल जाने के पश्चात् किसी प्रकार का कोई दावा, स्वत्व या आपत्ति मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नहीं होगी और मेरे पक्षकार उक्त सम्पत्ति की सम्पूर्ण राशि को अदा करके विक्रय पत्र का पंजीयन अपने पक्ष में करवाने के लिये स्वतंत्र होंगे।

परबेज खान एडवोकेट
कार्यालय क्रमांक जी-1, जी.के.कॉम्पलेक्स, प्लाट न.77, सेक्टर-सी, इन्द्रपुरी, भोपाल। मोबाईल: 9691628598

1290

जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल
तेहिस्वें व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, भोपाल
परिशिष्ट B संख्यांक 13

एमजेसी एसयूसी/225/2025
महिपाल सिंह तोमर बनाम अनुपमा राजे
Next Date : 21-09-2026

प्रेषिती-
सर्वसाधारण

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक महिपाल सिंह तोमर पता निवासी सी-9, शंकराचार्य होम्स, बागसेवनिया, तहसील हुजूर, जिला भोपाल ने मृतक स्व. श्री महिम प्रताप सिंह तोमर की Total Assets Value Rupees 2,00,000/- (Approx) राशि/संपत्ति हेतु उत्तराधिकार अथवा अभिभावक/संरक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इस न्यायालय में आवेदन किया है जिसकी सुनवाई दिनांक 21-09-2026 को नियत है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में आवेदक को उक्त मृतक का उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/संरक्षक होने संबंधी प्रमाण पत्र जारी किए जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक 21-09-2026 को न्यायालय में स्वंय अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहे। सूचना उपरांत यदि अनुपस्थित रहे तो प्रकरण की सुनवाई एकपक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा। यह आज तारीख 30-07-2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

न्यायाधीश
राहुल सिंह यादव
तेहिस्वें व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड

टिप्पणी :
यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।

1274